संख्या-31011/4/97-स्थापना(क)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 9, 1998

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:- छुट्टी-यात्रा-रियायत - राज्य-पर्यटन-बसों द्वारा यात्रा के संबंध में स्पष्टीकरण ।

जैसा कि वित्त-मंत्रालय आदि को विदित है, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी दो वर्षों के ब्लॉक में एक बार अपने मूल निवास स्थान की यात्रा के संबंध में छुट्टी-यात्रा-रियायत तथा चार वर्षों के ब्लॉक में एक बार भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के संबंध में छुट्टी-यात्रा-रियायत लेने के हकदार हैं । उपर्युक्त छुट्टी-यात्रा-रियायत, किसी निजी कार (अपनी, उधार ली गई अथवा किराए पर ली गई) अथवा बस, वैन अथवा निजी ऑपरेटरों की अपनी अथवा उनके द्वारा संचालित अथवा चार्टर की गई बसों तथा अन्य वाहनों द्वारा यात्रा के संबंध में अनुज्ञेय नहीं है । फिर भी, उपर्युक्त सुविधा क्षेत्रीय परिवहन-प्राधिकरण/संबंधित राज्य-सरकार के अनुमोदन से किराये की नियत दरों पर, नियमित अंतरालों पर एक स्थान से दूसरे स्थान की नियमित सेवा के रूप में निजी बसों द्वारा यात्रा के संबंध में अनुज्ञेय है । इसी प्रकार छुट्टी-यात्रा-रियायत के संबंध में चार्टर की गई बसों द्वारा यात्रा, केवल उन्हीं मामलों में अनुज्ञेय है जिनमें यात्रा पूर्णत: भारतीय पर्यटन-विकास-निगम (आई॰टी॰डी॰सी॰)/राज्य-पर्यटन-विकास-निगमों (एस॰टी॰डी॰सी॰) द्वारा अपनी ही बसों अथवा बाहर से किराए पर ली गई बसों द्वारा ही संचालित अथवा आयोजित की जाए । ऐसे मामलों में भारतीय पर्यटन-विकास-निगम/संबंधित राज्य-पर्यटन-विकास-निगमों द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि यात्रा वास्तव में उनके ही द्वारा आयोजित/संचालित की गयी थी, न कि किसी गैर-सरकारी, निजी पार्टी/व्यक्ति द्वारा । केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी-यात्रा-रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 12(2)(i)(ii) में, इस बारे में निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है:-

"उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के खण्ड (i) तथा (ii) में किसी बात के निहित रहने के बावजूद, जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी भारत में किसी भी स्थान का दौरा करने के सिलसिले में सड़क-मार्ग द्वारा यात्रा करते समय, सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन-विकास-निगमों, राज्य-परिवहन-निगमों तथा अन्य सरकारी अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित

...2/-

परिवहन-सेवाओं को किसी बस, वैन अथवा वाहन में सीट अथवा सीटें ले ले तो उन्हें इस संबंध में प्रतिपूर्ति, उनसे वास्तव में लिए गए किराए की धनराशि, अथवा उपर्युक्त दौरे के पूर्व घोषित स्थान को यात्रा किए जाने पर प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य, सबसे छोटे और सीधे मार्ग से अपनी हकदारी की श्रेणी से रेल द्वारा यात्रा किए जाने की स्थिति में देय रही होती धनराशि, इन दोनों में जो भी कम हो, उस धनराशि की ही की जाएगी । निजी कार (अपनी, उधार पर ली गई अथवा किराए पर ली गई) अथवा बस अथवा निजी ऑपरेटरों के किसी अन्य वाहन द्वारा की गई यात्रा के किराए के तौर पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय नहीं होगी ।"

2. इस विभाग की जानकारी में यह बात आई है कि गढ़वाल-मंडल-विकास-निगम लि०, कुमायूँ-मंडल-विकास-निगम लि०, मणिपुर-पर्यटन तथा नागालैण्ड-पर्यटन आदि, सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी-यात्रा-रियायत संबंधी दौरे आयोजित कर रहे हैं । यद्यपि यात्रा के प्रमाण-पत्र संबंधित संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं, परन्तु वास्तव में दौरे उनके एजेन्टों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं । गढ़वाल-मंडल-विकास-निगम, कुशनुमा कॉम्पलेक्स, 7 आर.एफ. बहादुर मार्ग, लखनऊ-226001 द्वारा की गई कुछ अनियमितताएं भी इस विभाग के ध्यान में आई हैं । उपर्युक्त मामले की इस विभाग में व्यापक जांच-पड़ताल की गई है तथा एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में, छुट्टी-यात्रा-रियायत की सुविधा लिए जाने संबंधी यात्रा भारतीय पर्यटन-विकास-निगम/राज्य-पर्यटन-विकास-निगमों अथवा गढ़वाल/कुमायूँ-मंडल-विकास निगम लि० जैसे स्थानीय निकायों द्वारा संचालित दौरों संबंधी चार्टर्ड बसों द्वारा केवल तभी अनुज्ञेय होगी जब यात्रा, पूर्णत: उपर्युक्त निकायों द्वारा अपनी निजी तथा भारतीय पर्यटन-विकास-निगम/राज्य-पर्यटन-विकास-निगमों अथवा स्थानीय निकायों आदि के नाम से, क्षेत्रीय परिवहन-प्राधिकरणों में पंजीकृत बसों द्वारा ही आयोजित/संचालित की जाए । उस स्थिति में भारतीय पर्यटन-विकास-निगम/राज्य-पर्यटन-विकास-निगमों, नागालैण्ड-पर्यटन अथवा मणिपुर-पर्यटन अथवा गढ़वाल-मंडल विकास-निगम अथवा कुमायूँ-मंडल-विकास-निगम जैसे स्थानीय निकायों द्वारा संचालित/आयोजित दौरे के संबंध में छुट्टी-यात्रा-रियायत की सुविधा तब अनुज्ञेय नहीं होगी, जब ऐसे दौरे भारतीय पर्यटन-विकास-निगम/राज्य-पर्यटन-विकास-निगमों/स्थानीय निकायों द्वारा निजी-गैर-सरकारी पार्टियों/व्यक्तियों से पट्टे पर ली गई, किराए पर ली गई अथवा चार्टर की गई बसों द्वारा संचालित/आयोजित किए जाएं ।

3. निजी-गैर सरकारी एयरलाइनों द्वारा की गई यात्रा के संबंध में भी छुट्टी-यात्रा-रियायत अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(एल० नन्दक्योल्यार)
निदेशक
दूरभाष सं०-301159।

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।